

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 58/2016

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

धन्नाराम पुत्र श्री पन्ना जाति बावरी गांव  
सादड़ी, प्रतापगढ़ तहसील देसुरी जिला  
पाली

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार  
देसुरी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

श्री महेन्द्र नारयण ओझा विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट  
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

:- निर्णय :-

दिनांक:- 05/12/2022

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी देसुरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 115/2009 बउनवान धन्नाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। विधि अनुसार जहां हक हकूकों का प्रश्न अवधारित हो, वहां पर म्याद के तकनीकी बिन्दु को गौण रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत माना गया है। इस अनुसार वकील अपीलान्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने के पश्चात अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वाके सरहद मौजा सादड़ी चक नम्बर 1 में खसरा नम्बर 4584 व 4585 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है। उपरोक्त भूमि की किस्म पहाड़ दर्ज है। किन्तु अपीलान्ट का उपरोक्त भूमि पर बिना किसी बाधा के निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। उक्त भूमि को अपीलान्ट द्वारा मेहनत से कृषि योग्य बनाया है, जिसकी खातेदारी अधिकार प्रदान न कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के हक हकूकों पर कुठाराघात किया है।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। यदि अपीलान्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरुद्ध माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा वाके सरहद मौजा सादड़ी चक नम्बर 1 में खसरा नम्बर 4584 व 4585 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने मुख्य बिन्दु यह रेखांकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के लम्बे समय से लगातार कब्जे की बिना व्याख्या किए ही निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा रेखांकित किए गए उक्त बिन्दु के परीक्षण हेतु हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् को दृष्टिगत रखते हुए कोर्ट कैम्प में त्वरित न्याय प्रदान कराने की मंशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो




इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो।'

अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की है। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था। इसी संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की पूर्ण पीठ द्वारा प्रकरण संख्या/अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा/ (अशोक राव बनाम अमृतलाल), अपील/टीए/गंगानगर/5160/2004 (रामी बनाम विद्यादेवी), अपील/टीए/गंगानगर/5161/2004 (रामी बनाम रामप्रताप) एवं अपील/टीए/कोटा/2780/2009 (रतना बनाम रामनाथ) में दिनांक 30.08.2018 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है, जिसमें प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा को दोषपूर्ण मानते हुए को विधि में संशोधन हेतु यथोचित कार्यवाही करने के आदेश पारित किए गए हैं। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी देसुरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 115/2009 बउनवान धन्नाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(नन्दकिशोर राजोरा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी,  
पाली

